राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— नर्सिंग/सीधी भर्ती 2013/नर्स—2/ए—67/2018/ दिनांकः

—:आदेशः—

निदेशालय के आदेश क्रमांकः नर्सिंग/सीधी भर्ती—2013/नर्स—2/ऐ—5/2016/246 दिनांक 22.08.2016 के द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के बिन्दु संख्या 1 (v) के अनुसार श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ नियुक्ति के पात्र नहीं होने के कारण श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ का नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 09.02.2016 पर किया गया चयन एवं दिनांक 10.02.2016 के द्वारा की गई नियुक्ति/पदस्थापन को निदेशालय के आदेश दिनांक 22.08.2016 के द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध अभ्यर्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस. बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9755/2016 अब्दुल वहीद बनाम सरकार प्रकरण में दिनांक 01.06.2017 को निम्न निर्णय पारित किया हैः—

From perusal of the circular dated 15.07.2016, it is evident that the conviction of a person in itself is not sufficient to disqualify from service. While passing an order of cancellation of appointment or order of termination, it is necessary to see as to whether the conviction of the said offence amounts to moral turpitude or not. It is evident from the impugned order that the same has not been passed with application of mind and is also without specifying whether the petitioner was involved in a case of moral turpitude. It has also not been considered that the conviction of the petitioner has been suspended by the order of the High Court.

In view of the above, the order dated 22.08.2016 is quashed with liberty to the respondents to pass a fresh order in accordance with law keeping in mind the observation as above. The writ petition stands disposed of accordingly.

श्री अब्दुल वहिद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला— जोधपुर ग्रामीण द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना—पीपाड़ शहर के रिकार्ड के अनुसार मुकदमा नं0 103 दिनांक 20.05.2008 धारा—458, 324, 323, 307/34 भा0द0स0 3,1,10,एस0सी/एस0टी में दर्ज होकर चालान संख्या 68 दिनांक 18.06.2008 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम कोर्ट, बिलाड़ा में पेश किया जाना अंकित किया गया है। जिसमें सैशन प्रकरण संख्या 26/2008 राज्य बनाम मोहम्मद हनीफ वगैरहा प्रकरण में माननीय विशिष्ठ न्यायालय अनूसुचित जाति एव अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से अभ्यार्थी अब्दुल वहिद के विरूद्ध धारा 323/34, 324 भा0द0स0 एवं 4/25 आर्मस एक्ट का अपराध साबित पाया जाने पर अभियुक्त अब्दुल वहिद को दोष सिद्ध किया जाकर, अभियुक्त अब्दुल वहिद को धारा 324 आईपीसी के आरोप में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000/— रू. के अर्थदण्ड से एवं धारा 323/34 आईपीसी के आरोप में 3 माह के साधारण कारावस एवं 250/— रू के अर्थदण्ड से एवं धारा 4/25 आर्मस एक्ट के आरोप में 6 माह के साधारण कारावस एवं 500/— रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के बिन्दु संख्या 1(V) में भा0द0सं0 के अध्याय 16 में वर्णित अपराधों में दोष सिद्धि उपरांत सजा हो जाने पर उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जाने का उल्लेख होने से एवं नर्स ग्रेड—द्वितीय का पद जनता की सेवा भावना से जुड़ा होने से अभ्यार्थी अब्दुल वहिद को उक्त अध्यायों में वर्णित अपराध अंतर्गत धारा 324, 323/34 आईपीसी एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाने से, अभ्यार्थी अब्दुल वहिद के झगडालू प्रवृत्ति का व्यक्ति होने से नर्स ग्रेड—द्वितीय के पद पर नियुक्ति का पात्र प्रतीत नहीं होने से श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ का नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 09.02.2016 में किया गया चयन एवं दिनांक 10.02.2016 के द्वारा की गई नियुक्ति/पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— नर्सिंग/सीधी भर्ती 2013/नर्स—2/ए—67/2018/ 35 दिनांकः 31/01/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलेक्टर, जोधपुर।